भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1494
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने हेतु वैश्विक सहयोग

1494. श्री चंदन चौहान:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री दर्शन सिंह चौधरी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध किस प्रकार वैश्विक नेतृत्व प्रदर्शित किया है;

(ख) क्या भारतीय एजेंसियां मध्य एशियाई प्रतिनिधियों के साथ कोई विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता साझा कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य में ऐसी साझेदारी का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी, क्राउडफंडिंग और गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) करने हेतु मध्य एशियाई गणराज्य (CAR) के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21-22 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किया गया है।

यह पहल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें विशेष तौर पर डिजिटल साधनों के माध्यम से उभरते खतरों और सामाजिक संरचनाओं के दुरुपयोग शामिल है। यह कार्यक्रम राजस्व विभाग (DoR), वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), राष्ट्रीय जांच

एजेंसी (NIA) और गृह मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों एवं यूरेशियन समूह (EAG) के विशेषज्ञयों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सत्र शामिल थे :

1. आभासी परिसंपत्ति दुरुपयोग का पता लगाना एवं जांच करना।
2. उग्रवादी गतिविधियों के लिए क्राउडफंडिंग की टाइपोलॉजी।
3. गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) की निगरानी के लिए नियामक और वित्तीय खुफिया ढांचा।

भारत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मध्य एशियाई प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा कर रहा है। इन कार्यक्रमों में निम्न हैंडस-ऑन सत्र और क्लोजड-डोर परामर्श शामिल है :

1. आतंकवाद से संबंधित जांच में खुफिया जानकारी एकत्रित करना ।
2. आभासी परिसंपत्ति सेवा (VASP) के दुरुपयोग से उभरते जोखिम ।
3. क्राउड फंडिंग प्लेटफार्मों का शोषण।
4. कट्टरपंथ वित्तपोषण एवं गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) के लिए जोखिम प्रोफाइलिंग तंत्र।
5. भारतीय एजेंसियां जैसे वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की केस स्टडीज।

(घ) व् (ड.): भारत ने वर्ष 2022 में "नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस" की मेजबानी की जिसमें आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस सम्मेलन में 77 देशों और 16 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), एफएटीएफ-स्टाइल क्षेत्रीय निकाय (FSRBs), जी-20 आदि के सदस्य शामिल थे।

भारत आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (CFT) के लिए बने दो क्षेत्रीय समूह एशियाई प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) का भी सदस्य है। भारत इन समूहों के माध्यम से समय-समय पर अपना सहयोग प्रदान कर रहा है।

*****